प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 682/विधि संशो0/2021–22 लखनऊ, दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

विषयः **उत्तर प्रदेश धूम्र निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) अधिनियम, 1952 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–220/11–2021–एम(13)/2021 दिनांक 06.09.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश धूम्र निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) अधिनियम, 2021 के सम्बन्ध में विधायी अनुभाग–1 के पत्र संख्या–796/79–वि–1–21–1–क–21–21 दिनांक 24.08.2021 द्वारा अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है। उक्त अधिसूचना की प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही/प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.08.2021 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही/प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

07/10/2021

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

संख्याः 682/तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1– संयुक्त सचिव, राज्य कर, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश, शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/निरीक्षक उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ।
4– ज्वाइन्ट कमिश्नर, आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय, गोमतीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5– गार्ड फाइल।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

क्रम-संख्या—152

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 796/79-वि-1—21-1-क-21-21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 जिससे राज्य कर अनुभाग—6 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952, जैसा कि यह असंगत हो चुका है, का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1952 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति

3—तथापि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952 का निरसन किये जाने से—

(क) ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या उससे निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कार्य या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) इस बात के होते हुए किसी सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952 उत्तर प्रदेश में स्थित सिनेमाघरों में धूम्रपान निषिद्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया है। यह अवलोकित किया गया है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 और उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 20 में मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों में धूम्रपान निषिद्ध करने के पर्याप्त उपबन्ध है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान समय में पूर्वोक्त अधिनियम, 1952 की कोई प्रासंगिकता एवं उपयोगिकता नहीं रह गयी है। अतएव उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952 को निरसित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 796 (2)/LXXIX-V-1-21-1(ka)-21-21

Dated Lucknow, August 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dhoomrapaan Nishedh (Cinema Ghar) (Nirsan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Rajya Kar Anubhag-6 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF SMOKING (CINEMA HOUSES) (REPEAL) ACT, 2021

(U.P. Act no. 24 of 2021)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952 as it has become irrelevant.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) (Repeal) Act, 2021.

Repeal of U.P. Act no. 30 of 1952

2. The Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952 is hereby repealed.

Savings

3. The repeal of the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952 shall, however, not,–

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952 has been enacted to prohibit smoking in cinema houses situated in Uttar Pradesh. It has been observed that there are sufficient provisions in the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution)

Act, 2003 and in rule 20 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 to prohibit smoking in multiplexes and cinema houses.

In view of the above, there is no relevance and utility of the aforesaid Act of 1952 in the present times. Therefore, it has been decided to repeal the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952.

The Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema House) (Repeal) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 261 राजपत्र–2021–(588)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 77 सा० विधायी–2021–(589)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

261_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(Dhoomrapaan)-2021 Data-4E